न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/84/2023	2023/430	26-07-2023	18-12-2024

1. महेन्द्र सिंह पुत्र चिरंजी लाल यादव जाति अहीर निवासी नंगली मुंशी तह0 व जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार अलवर जिला अलवर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार अलवर
निर्णय दिनांक 26.08.2020

उपस्थितः—
01—श्री भूपेन्द्र कुमार सोनी —वकील अपी0
02—राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः—

अपीलान्टान ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अलवर के आदेश दिनांक 26.08.2020 जिसके द्वारा अपी0 की अपील खारिज की गई है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आलोच्य निर्णय अपीलाण्ट की गैरजानकारी व गैरमौजूदगी में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व में नही थी इस कारण समयावधि में अपील पेश नहीं की जा सकी। जिसमें अपीलाण्ट की कोई लापरवाही नही रही है। आलोच्य निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20—01—21 को पटवारी हलका के माध्यम से हुई जिस पर दिनांक 21—01—21 को आलोच्य निर्णय की नकल के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 28—01—21 को प्राप्त हुई। जिसे वकील साहब को दिखाया तो उन्होने अपील करने की सलाह दी। जिस पर अर्चे का इंतजाम किया गया तथा दिनांक 30—01—21 व 31—01—21 का अवकाश होने के कारण अपील आज बिना देरी के पेश की जा रही है। जो कि तारीख जानकारी से अंदर अवधि पेश है। अपील पेश करने में जो देरी हुई है, वह उक्त कारण से हुई है जो कि नेकनियती वो युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा म्याद में मुजरा दिए जाने योग्य है। जिस हेतू प्रार्थना पत्र दफा 05 ग्याद कानून अलग से पेश है। न्यायालय तहसीलदार अलवर के निर्णय के खिलाफ यह अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हलका पटवारी कस्बा डहरा ने तहत अदालत में एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि आराजी खसरा नंबर 617 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय मुताबिक राजस्व रिकार्ड थावर दास पुत्र हंरूमल हिस्सा 62141/233220 जाति सिन्धी सा० देह, गुरूबक्शी पुत्र हरूगल हिस्सा 62141/233220 जाति सिन्धी सा० देह, नरेश कुमार पुत्र हरूमल हिस्सा 62141/233220 जाति सिन्धी सा० देह, महेन्द्र सिंह पुत्र चिरंजीलाल हिस्सा 9953/77740 जाति अहीर निवासी नंगली मुन्शी, पतराम पुत्र मंगतू राम हिस्सा 303/19435 जाति अहीर निवासी लोधाडी भण्डवाडा, जगदीश प्रसाद पुत्र नत्थू राम हिस्सा 111/77740, सुभाष चंद पुत्र अमरसिंह हिस्सा 303/19435 जाति कुम्हार निवासी लोधाडी, सांवतराम पुत्र मातादीन हिस्सा 2111/15580 जाति अहीर निवासी लोधाडी, दौलत राम पुत्र मातादीन हिरसा 2111/155480 जाति अहीर निवासी लोधाडी खातेदारी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी में से खातेदार महेन्द्र सिंह पुत्र चिरंजीलाल यादव द्वारा अपने हिस्से का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
18/12/24

किया जा रहा है जिसमें पुख्ता मकान बना निवास कर रहा है। उक्त आराजी में से 30X50 वर्गफुट भूमि पर पक्का मकान निर्माण कार्य बिना रूपांतरण के कृषि योग्य भूमि का स्वरूप बिगाड कर अकृषि योग्य बनाया जा रहा है। कि जिस रिपोर्ट पर तहत अदालत द्वारा प्रकरण संख्या 04ध18 अंतर्गत धारा 90–ए एल. आर. एक्ट दर्ज किया गया। जिस प्रकरण का दिनांक 26–08–2020 को निर्णय किया जाकर विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर अपीलाण्ट को अतिकमी घोषित किया जाकर अपीलाण्ट अप्रार्थी के हिस्से की भूमि 30X50 वर्गफुट से बेदखल किए जाने तथा आराजी के लगान 4.00 रूपये राशि की 50 गुणा पेनेल्टी (शास्ति) राशि 200/– रूपये से आरोपित किए जाने तथा निर्मित भूमि पर धारा 177 के प्रकरण तैयार कर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को प्रेषित किए जाने के आदेश दिये गये। कि जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है। जो कि निम्न आधारो पर स्वीकार होने तथा आलोच्य निर्णय व आज्ञा तहत अदालत खारिज होने योग्य है। अपीलाण्ट ने ग्राम कस्बा डहरा स्थित आराजी खसरा नंबर 617 में 30X50 वर्गफुट में कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि उक्त आराजी अपीलाण्ट की मिलकियत की आराजी है। जिसमें अपीलाण्ट ने फसल आदि रखने के लिए एक पक्का कमरा बनाया हुआ था जिसका क्षेत्रफल 300 वर्गगज से कम था और मुताबिक कानून कोई भी कृषक अपनी कृषि भूमि में फसल, बीज, कृषि उपकरण आदि रखने के लिये 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल में पुख्ता निर्माण कर सकता है। इसलिए अपीलाण्ट द्वारा फसल आदि रखने के लिये किये गये पुख्ता निर्माण के समय कोई गैरकानूनी कृत्य नहीं किया गया है। अपीलाण्ट के खिलाफ पटवारी हलका ने जो शिकायत की है वह अपीलाण्ट से रंजिश रखने वाले अर्जीनवीस दिनेश भार्गव पुत्र लक्ष्मीनारायण भार्गव निवासी 592 स्कीम नंबर 10 विवेक विहार अलवर राज. की शह व रंजिशवश की गई है। तहसील अलवर में अर्जीनवीस का लाईसैंस लेकर बिना सरकार को टैक्स दिये हुये करोडो की प्रोपर्टी का लेन देन करने वाले दिनेश भार्गव ने कस्बा डहरा में विराजमान मंदिर मूर्ति श्री चरण दास जी महाराज की मिलकियत की करोडो रूपये मूल्य की कृषि भूमि को मंदिर के महंत से मिल कर कागजो में फर्जकारी करते हुये कय कर लिया था जिस बाबत मिन अपीलाण्ट ने अन्य लोगो के साथ मिल कर दिनेश भार्गव के विरूद्ध माननीय जिला न्यायाधीश अलवर के न्यायालय में दो मुकदमें दायर किये थे जिन मुकदमो में न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 3 ने मुकदमा संख्या 41/2011 व 42/2011 के रूप में फैसला करते हुये दिनेश भार्गव व उसके साथियों द्वारा कोडियो के दाग कय की गई करोडो रूपयो की कृषि भूमि जिसकी मिलकियत मंदिर मूर्ति श्री चरणदास जी महाराज की थी, की रजिस्टरी को निरस्त करने के आदेश पारित किये है जिन आदेशो से चिढ कर ही दिनेश भार्गव तहसील परिसर में बैठने का व तहसील के स्टाफ से जान पहचान होने का नाजायज फायदा उठा कर अपीलाण्ट के विरूद्ध आये दिन झूठी शिकायतें करता रहता है। अन्यथा पटवारी हलका को यह बखूबी ज्ञान था कि अपीलाण्ट द्वारा किया गया निर्माण अवैध निर्माण नही है नाही नियम व शर्तों के विपरीत है। फिर भी अपीलाण्ट के खिलाफ झूठी रिपोर्ट पेश करदी तथा पूरे विश्व में कोराना महमारी कोविड–19 का प्रकोप होने तथा संपूर्ण भारत वर्ष में लॉक डाउन घोषित होने की अवधि में दिनेश भार्गव ने अपनी झूठी शिकायत पर अपीलांट के खिलाफ निर्णय कराया है। जबकि अन्य हिस्सेदारों ने भी निर्माण किया हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ पटवारी हलका ने कोई रिपोर्ट नहीं की। जो काबिल गौर श्रीमान है। कालांतर में अपीलाण्ट की कृषि भूमि के लिये उपलब्ध सिंचाई के साधन में पानी सूख जाने के कारण अपीलाण्ट अपनी भूमि में सही रूप से कृषि कार्य नहीं कर पा रहा था जिस कारण अपीलाण्ट को अपने परिवार को रोटी खिलाने की मजबूरी के चलते फसल रखने के लिये बनाये गये परिसर को किराये पर देना पडा। यदि न्यायालय श्रीमान अपीलाण्ट की मजबूरी को अतिक्रमण मानते है तो अपीलाण्ट आदेश होने पर उक्त परिसर का संपरिवर्तन कराने को तैयार है। जिस हेतू अपीलाण्ट द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व तहत अदालत ने अपीलाण्ट की उचित व सम्यक रूप से तामील नही कराई नाही अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया नाही साक्ष्य सूबूत पेश करने का अवसर दिया। अपीलाण्ट को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुये। तहत अदालत ने मनमाने

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)

तौर पर अपीलाण्ट की तामील मानते हुए बिना सुनवाई व साक्ष्य सूबूत पेश करने का अवसर दिये। आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व तहत अदालत ने ना तो स्वयं ने मौका देखा ना ही मौके की रिपोर्ट तलब की। यदि ऐसा किया जाता तो प्रकट व साबित होता कि अपीलाण्ट द्वारा किया गया निर्माण कार्य किसी प्रकार से अवैद्य वो अनाधिकृत नहीं है। लेकिन तहत अदालत ने गौर नही किया तथा आलोच्य निर्णय व आज्ञा पारित करने में अहम कानूनी वाकेयाती भूल की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील मंजूर की जाकर आलोच्य निर्णय दिनांक 26–08–2021 तहसीलदार अलवर राज. बसिलसिले प्रकरण संख्या 04/18 अंतर्गत धारा 90–ए एल० आर० एक्ट अपास्त फरमाए जाने की कृपा करे।

रेस्पो0 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी कस्बाडहरा एवं भू0अ0 निरीक्षक कस्बाडहरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 617 रकबा 0.13 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का कस्बाडहरा अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 617 रकबा 0.13 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय में से 30X50 वर्गफुट कृषि भूमि बिना संपरिवर्तन के निर्माण एवं गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। अपीलाण्ट द्वारा किया गया उक्त आराजी में से 30X50 वर्गफुट पर किया गया निर्माण आदि अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 26.08.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)